कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्योपुर (म.प्र.)

क्रमांक/एस.डब्ल्यू/2020/3213 श्योपुर, दिनांक 29/03/2020

आदेश

नोवेल कोरोना संकमण को रोकने के उद्देश्य से किये गये लॉकडाउन एवं प्रतिबंधात्मक कार्यवाही के कारण अन्य जिलो/प्रदेशों से इस जिले में आने वाले यात्री व मजदूरों को कोरेन्टाईन में रखा जाना आवश्यक होगा। उक्त यात्री एवं मजदूरो को कोरेन्टाईन में ठहराये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, तहसीलदार की होगी। कोरेन्टाईन सेन्टर हेतु ग्राम पंचायत में स्थित शासकीय भवन जैसे सामुदायिक भवन, ग्राम पंचायत भवन, स्कूल भवन आदि को उपयोग में लिया जा सकता है। इसी प्रकार नगरीय क्षेत्र में कोरेन्टाईन सेन्टर की व्यवस्था का दायित्व अनुविभागीय अधिकारी राजस्व व मुख्य नगरपालिका अधिकारी का होगा।

मजदूरो की स्कीनिंग करने का दायित्व मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं संबधित क्षेत्र के खण्ड चिकित्सा अधिकारी का होगा व उनके खाने पीने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का दायित्व ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित क्षेत्र के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, तहसीलदार व नगरीय क्षेत्र में मुख्य नगरपालिका अधिकारी का होगा।

(प्रतिभा पाल)
जिला मजिस्ट्रेट
जिला श्योपुर (म.प्र.)

पृष्ठा. क्रमांक/एस.डब्ल्यू./2020/3214 श्योपुर दिनांक 29/03/202

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भोपाल।
2. आयुक्त चंबल संभाग मुरैना।
3. पुलिस महानिरीक्षक चंबल जोन मुरैना।
4. पुलिस अधीक्षक श्योपुर ।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्योपुर।
6. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्योपुर।
7. अनुविभागीय दण्डाधिकारी श्योपुर/विजयपुर/कराहल।
8. अनुविभागीय अधिकारी पुलिस श्योपुर/बडौदा/विजयपुर।
9. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला श्योपुर।
10. महिला एवं बाल विकास अधिकारी श्योपुर।
11. सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय श्योपुर
12. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत श्योपुर/कराहल/विजयपुर।
13. समस्त तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट तहसील श्योपुर/विजयपुर/कराहल/वीरपुर/बड़ौदा।
14. मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्योपुर/बड़ौदा/विजयपुर।
15. जिला जनम्पर्क अधिकारी श्योपुर की ओर प्रचार प्रसार हेतु।

जिला मजिस्ट्रेट
जिला श्योपुर (म.प्र.)